फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नन्द किशोर बनाम विपक्षी : श्री अमरलाल व अन्य
किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 21/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 03.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 2 की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1, 2 व मूल वाद में विपक्षी संख्या 3 से 8 की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी के मूल पुरुष गोरधन एव शकर जी हुये जिनका निधन हो चुका हैं। गोरधन के एक पुत्र अमरलाल विपक्षी संख्या 1 है तथा एक पुत्री विपक्षी संख्या 2 हैं। विपक्षी संख्या 1 अमरलाल के प्रार्थी पुत्र एव विपक्षी संख्या 3 पुत्री होकर जायज वारिसान हैं। इसी तरह शकर के दो पुत्र विपक्षी संख्या 4, 5 हैं। चुनीया जी के एक पुत्र कालु हुआ जिनका निधन हो गया हैं। कालु के दो पुत्र विपक्षी संख्या 6, 7 एवं एक पुत्री विपक्षी संख्या 8 हैं। यह कि विपक्षी संख्या 1 दस साल से बिमार रहता हैं तथा भला बुरा सोचने समझने की स्थिति में नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार ऐसी स्थिति में भूमि दलाल प्रार्थनाग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिससे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार खण्डन नही किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में गोरधन पिता प्रभु ढोली नंगारची खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा स्वयं को खातेदार गोरधन के पुत्र का पुत्र बताया हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2052–55 की आराजी नम्बर 5573, 5574 किता 2 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:33:43 IST
Reason: SelfAttested